Act, 1957 and thereafter the mining lease is granted by the State Government.

(b) There has been no case of offer of captive coal blocks to various parties in the public and private sector including the State power utilities in which the procedure prescribed under the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 has not been followed.

Increasing capital reserves in coal mines

1248. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether capital reserve in coal companies is increasing due to the excess capital investment being made therein;

(b) the total capital investment made during each of the last three years;

(c) the total loss incurred as a result thereof;

(d) whether Government have reviewed the working of those companies which are incurring loss due to excess capital investment; and

(e) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) As on 31st March, 1997, neither the Coal India Limited (CIL) nor Singareni Collieries Company Limited (SCCL) had any capital reserve. The total capital investment made in CIL and SCCL during the last three years are as under:—

(Rs. in crores)

	1994-95	1995-96	1996-97
CIL	1604.56	1503.63	1550.08
SCCL	516.58	293.91	242.97

(c) CIL and SCCL did not incur any loss as a result of capital investment.

(d) and (e) Do not arise in view of the answer to part (c) of the question.

कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला खानों मे कार्यरत मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जाना

1249. **श्री इकबाल सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक सरकार द्वारा कोयला क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी का उपयोग करने और कोयला खानों में कार्यरत मजदूरों की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या-क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला कंपनियों में कार्य कर रहे मजदूरों को उचित मजदूरी, कल्याण, सुविधाएं तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने जैसी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए अब तक कौन-कौन से नीतिगत निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) इसके कार्यान्वयन के संबंध में की जा रही आवश्यक कार्यवाही संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) कोल इंडिया लि० द्वारा इन क्षेत्रों में अब तक किए गए प्रयासों को नीचे दर्शाया गया है:—

विद्युत सपोर्ट लांगवाल फेसों को आरंभ किया जाना।

आधुनिक प्रौद्योगिकी आरंभ किए जाने के लिए सा०ई०को० लि० में 6 खानों को विनिर्दिष्ट किया जाना।

भूमिगत खानों में एस०डी०एल० / एल०एच०डी० के विकास में वृद्धि किया जाना ताकि श्रमिक द्वारा लदान किए जाने वाले कठिन क्रियाकलापों को यांत्रिक लदान के क्रियाकलापों में बदला जा सके।

खान पर्यावरणात्मक प्रबोधन पद्धति गैस का पता लगाने के सुवाह्य यंत्र, आग की चेतावनी देने वाले यंत्र आदि के प्रयोग को तेज किया जाना।

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

विवरण

सामान्य परिस्थितियों में सुधार लाने के बारे में अर्थात् कामगारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए को०इं०लि० द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में निरंतर प्रयास किए गए हैं:

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की स्थिति नीचे दर्शाई गई है।

	31.3.95 की स्थिति के अनुसार	31.3.96 की स्थिति के अनुसार	31.3.97 की स्थिति के अनुसार
उपलब्ध कराए गए आवासों की संख्या	382782	389463	394001
2. जल की आपूर्ति:			
जलापूर्ति के अधीन लाई गई जनसंख्या	22,55,062	22,88,487	23,13,152

3. शैक्षणिक सुविधाएं:

शैक्षणिक सुविधाओं को मुहैया करवाए जाने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। लेकिन कोल इंडिया लि० ने भी कुछ विशेष विद्यालयों जैसे डी०वी०सी० पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, डी०पी०एस० स्कूल और कोयला क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित प्राइवेट समिति द्वारा प्रबंधित विद्यालयों को वित्तीय सहायता और सहायता अनुदान देती रही है। कोयला क्षेत्रों में कार्यरत शैक्षणिक संस्थानों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:—

	31.3.95 की स्थिति के अनुसार	31.3.96 की स्थिति के अनुसार	31.3.97 की स्थिति के अनुसार
स्कूलों की कुल संख्या	1319	1343	1347

4. सहकारी समिति:

वर्तमान में कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों में सहकारी समितियों की कुल संख्या 313 है, जिनमें केंद्रीय सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समितियां और ऋण सहकारी समितियां भी शामिल हैं।

5. बैंक संबंधी सुविधाएं:

कोल इंडिया लि० के अधीन विभिन्न सहायक कंपनियों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं और विस्तार काउंटरों की संख्या क्रमशः 211 और 24 है।

6. चिकित्सा सुविधाएं:

इस संबंध में अद्यतन स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

अस्पताल	82
बिस्तर	5594
डिस्पेंसरी	424
एंबुलेंस	657
डाक्टर	1766
आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी	27

7. मजदूरी संबंधी औचित्यता:

कामगारों की मजदूरी के संबंध में समझौता एक द्विपक्षीय निकाय अर्थात् कोयला उद्योग पर संयुक्त

द्विपक्षीय समिति (जे बी सी सी आई) द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रबंधन के प्रतिनिधि और 5 केंद्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि—अर्थात् इन्टक, एटक, सीटू, एचएमएस तथा बीएमएस के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जे०बी०सी०सी०आई० द्वारा मजदूरी के संबंध में समझौता सभी पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए किया जाता है ताकि कामगारों को औचित्यपूर्ण मजदूरी की अदायगी की जा सके तथा उक्त मजदूरी कामगारों को स्वीकार्य हो सके।

Coal linkage sanctioned to Maharashtra Electricity Board

1250. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the coal linkage sanctioned and despatches made to the thermal power stations of Maharashtra during the last three years, year-wise;

(b) what was the actual demand of coal of the Maharashtra Electricity Board during the said period and whether the demand was fully met;

(c) if not, what was the shortfall; and

(d) action Government propose to take to ensure full supply of coal as per demand of the Maharashtra Electricity Board?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (c) Linkages to the thermal power stations in the country including of Maharashtra State Electricity Board are sanctioned by the Standing Linkage Committee (SLC) (Short-term) on quarterly basis taking into account the long-term linkages made, the views of Ministry of Power/Central Electricity Authority (CEA), availability of coal, payment and transport constraints etc.

Details of coal linkages vis-a-vis despatches made to the thermal power stations of MSEB for the last three years are as under:—

(Figs. in '000 tonnes)

Year	Linkages	Despatches
1994-95	25074	22124
1995-96	26565	25483
1996-97	24855	26175 (Prov.)

(d) The highest priority is accorded to the allocation and movement of coal to TPSs in the country including MSEB subject to transport and payment constraints. Coal supplies to power houses are regularly monitored, at the level of Cabinet Secretariat once a fortnight and on daily basis by Railways and the coal companies and corrective action is taken whenever necessary to step up supply of coal.

ताप विद्युत केन्द्रों को अच्छे स्तर के कोयले की आपूर्ति

1251. **श्री रामजीलाल:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला खानों से भेजा जा रहा कोयला उच्च स्तर का नहीं है जिसके परिणामस्वरूप ताप विद्युत केन्द्र अपनी वास्तविक क्षमता से कम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ताप विद्युत केन्द्रों को उच्च स्तर (ग्रेड-ए) के कोयले की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ताप विद्युत केन्द्रों को आपूर्ति किया जाने वाला कोयला आज की अपेक्षा उच्च स्तर पर होता था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) यह बात सत्य नहीं है कि देश